"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] रायपुर, गुरुवार दिनांक 9 अगस्त 2012—श्रावण 18, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्रमांक एफ-148/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1005.—दिनांक 8 अगस्त 2012 को नगर पंचायत, फरसगांव, जिला-अविभाजित बस्तर, छ.ग. के 02 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-148/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. श्री शिवलाल मरकाम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, फरसगांव, जिला-अविभाजित बस्तर, छ.ग.

2. श्री हरीराम कुंजाम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, फरसगांव, जिला-अविभाजित बस्तर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 8 अगस्त 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित बस्तर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 3 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत फरसगांव के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत फरसगांव के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम को कारण बताओ सूचना दिनांक 5 अप्रैल 2010 जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम को तामील होने की सूचना प्राप्त नहीं होने पर उन्हें पुनः कारण बताओ सूचना जारी की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम ने अपना जवाब दिनांक 22 सितम्बर 2011 को आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के प्रावधान की जानकारी थी; परन्तु निर्वाचन परिणाम के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वे निर्धारित समयसीमा में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे. उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के संबंध में विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी फरसगांव जिला बस्तर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें चिकित्सक द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से दिनांक 30 जनवरी 2010 तक उनके अधीन चिकित्सा में हरीराम कुंजाम के रहने एवं बेड रेस्ट करने की सलाह देने का उल्लेख है. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत चाहा गया. निर्वाचन अधिकारी ने पत्र क्रमांक 15/स्था.निर्वा./व्यय लेखा/न.क्र./20/2010-12 दिनांक 16 जनवरी 2012 में अभिमत दिया कि अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 22 मार्च 2010 को दाखिल किये जाने की सूचना उनके पूरक प्रतिवेदन दिनांक 27 मार्च 2010 के साथ संलग्न प्रेषित की गई है तथा अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार करने की उनके द्वारा अनुशंसा की गई है. इस पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आयोग के सूचना पत्र दिनांक 5 मई 2012 द्वारा दिनांक 5 जून 2012 को सुनवाई हेतु आहूत किया गया. उक्त सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 16 मई 2012 को विधिवत् तामील की गई. अभ्यर्थी सूचना उपरान्त सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 5 जून 2012 को अनुपस्थित रहा. ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में जवाब के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है माना जाकर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. अन्य अभ्यर्थी श्री शिवलाल मरकाम को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी उसके द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इस पर उक्त अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है माना जाकर तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था. यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम के जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत फरसगांव के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया. अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम द्वारा यद्यपि अपना जवाब प्रस्तुत किया गया फिर भी वे आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहूत किये जाने पर निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उन्हें निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के प्रावधान की जानकारी थी; परन्तु निर्वाचन परिणाम के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वे निर्धारित समयसीमा में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे. इस प्रकार निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संदर्भ प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया. अभ्यर्थी के उक्त जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 15/स्था.निर्वा./व्यय लेखा/न.क्र./20/2010-12 दिनांक 16 जनवरी 2012 में अभिमत दिया कि श्री हरीराम कुंजाम द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 22 मार्च 2010 को दाखिल किये जाने की सूचना उनके पूरक प्रतिवेदन दिनांक 27 मार्च 2010 के साथ संलग्न प्रेषित की गई है. अभ्यर्थी श्री हरीराम कुंजाम ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि वे अस्वस्थ रहने के कारण निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाये. उनके द्वारा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी फरसगांव का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया. चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह विदित होता है कि श्री हरीराम कुंजाम दिनांक 30 दिसम्बर 2009 से 30 जनवरी 2010 तक अस्वस्थ थे. अगर वे चाहते तो दिनांक 30 जनवरी 2010 के तत्काल बाद निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर सकते थे लेकिन उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया. दिनांक 30 जनवरी 2010 से 22 मार्च 2010 तक की अवधि के विलंब के बारे में उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि नियत समयावधि के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने हेतु श्री हरीराम कुंजाम के पास कोई औचित्य या उपयुक्त कारण नहीं है. अन्य अभ्यर्थी श्री शिवलाल मरकाम ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित अधिकारी के पास न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब प्रस्तुत किया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों श्री शिवलाल मरकाम एवं श्री हरीराम कुंजाम को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित

कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष एवं छः माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 8 अगस्त 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.